

**फर्द अहकाम
(नियम 15)**

जज अदालत उपाखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

द्वारा रजि.सी.ए. राजाखेड़ा नाम


किस्म मुकदमा उत्तराय 136 LP Act नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/01/2020	<p>पट्टा धरणी उत्तराय 136 LP Act रजि.सी.ए. राजाखेड़ा की डोर से पट्टा धरणी पुर्णना जज इय सुप्रीम डिक्रेट वाए गौर दिनांक 30/11/20 का पट्टे के</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)</p>	<p align="right"><i>राजाखेड़ा</i></p>
30/1/20	<p>पत्रावली पट्टे डूरी उत्तराय धरणी पट्टे का 136 LP Act का अवलोकन किए राजा खेड़ा इस प्रकार है कि पट्टा धरणी जज रजि.सी.ए. राजाखेड़ा द्वारा इस डोर का उत्तराधिकारी राम धाराय के द्वारा से 83 के व.नं. 2456/2300 के व. 12-15 वर्षों की वर्तमान जमाकरी सम्वत् 2072-75 में भोवरासिंह, अर्जुनसिंह, शिवमोह, पि रामदीन दि. 01/20, दुर्जना प्र रामलाल, भरोसी प्र चिन्नालाल, मुन्शी रामदीन पि लोचना, लालपति लालु पि भवसिंह दि. 01/25, पुष्पादेवी प्र अनराज दि. 03/25 व रामरती पत्नी माधोसिंह दि. 03/20 को म राजेश सा. दे. वा. दे. रजि. नं. नामा. पत्रा दिनांक 28-5-2018 से इस पालक धरणी पर सम्वर्ण वारे के दि. 01/20 म इ मय है। दि. 01/20 से दि. 01/20 में अमुदि संवत् 2056-2059 की पत्रावली वनाई समय विधिकीय भूल से डूरी है जिससे अन्य प्रोडिय डूरी है। सिन्डे म काने के लिए प्रस्ताव उत्तराधिकारी सुप्रीम आपने देन है। विवेक मिय है।</p> <p align="right">इसल अवलोकन अवलोकन किए तब उत्तराधिकारी से प्रस्ताव पर गौर किए</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
---------------	---------------------------------	--

इस तहसीलदार के कानून से सहमत
है तथा उस्तावुसुमाए (वारं मे सुदि
किये जाते उपर समझते है।

इस आदेश है कि तहसीलदार
राजाखेड़ा के उस्तावुसुमाए राजसूय वरान
द्वारा प्रय की वृत्तगत पत्रावली से 2012-13
में वारं से 83 के वरान 2456/2300
रकबा, 12.15 बीघा पर वर्तमान में दर्ज
वारंदा के एक उक्त डिब्बे में सुदि की
पाकट मेवरासिद्ध अर्जुन सिंह शिरोमोहर
शिरोमोहर सि 1/20, दुर्जन पर राजसूय
सि 1/5, मरोसी पर चिन्नालाल सि 1/5
कालीचरण, मुन्शी, रामदीन शिरोमोहर सि 1/5
करां 1/5, लखपट्टे लखू शिरोमोहर सि 1/5
रामरतन पत्नी माधोसिद्ध सि 3/20 कोम राजसूय
सम्बद्ध (वारंदा दर्ज किये जाते के
आदेश किये जाते है। उस्तावुसुमाए राजसूय
शिरोमोहर में सुदि के डिब्बे की धर्मपालन
के तहसीलदार राजाखेड़ा को मेली पाव
पकाली, कर्मल सुमाए देसाइ दाखिल
इससे आ इफुम सुमाए वरान


उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)